what is contained in the general policy of the Department, applicable to the whole country, as explained in the reply to parts (b), (c) and (d) below.

(b) to (d). In keeping with the commercial character of the Department, new schemes of Telecommunication development are generally sanctioned on the basis of their remunerativeness, and in case of schemes showing loss, on the basis of guarantee. However, with a view to progressively extending telecommunications facilities to the rural areas, such facilities in the shape of long distance Public Call Offices or Telegraph Offices are provided even on loss basis (limited) at certain categories of stations based on considerations of administrative importance, population, remoteness of locality, proximity to the border and special considerations like tourist, pilgrim and project importance. The policy of the Department in this regard is reviewed periodically with a view to progressively develop telecommunication services in rural and remote areas.

HUNGER STRIKE IN TARAPUR AND CO. KALYANI (WEST BENGAL)

4980. SHRI J. M. BISWAS: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seven hundred and thirteen workers of Tarapur and Co., Kalyani, West Bengal are on hunger strike since the 16th July, 1968 in protest against the retrenchment;

(b) whether it is also a fact that on the 21st July, 1968 seven workers who were on hunger strike were arrested; and

(c) if so, the steps taken by Government in the matter.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) to (c). This is a matter falling in the State sphere and the Labour Commissioner, Government of West Bengal has been requested to furnish information. The information will be placed on the Table of the House as soon as it is received.

ASOKE NAGAR R.I.C. FACTORY CALCUTTA

4981. SHRI J. M. BISWAS: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 50 women workers are having stay-in-strike at Asoke Nagar R.I.C. factory in a suburb of Calcutta since the 23rd July, 1968 in protest against the decrease in daily wages; and

(b) if so, the steps Government propose to take to meet the demands of these women workers?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) Fortytwo women workers were on a stay-in-strike on 23-7-68 in protest against alleged decrease in earnings. It is reported that after the management explained the position regarding conversion of unit of production from pound to kilogram with resultant adjustment in rates the workers resumed their duties with effect from 24-7-68.

(b) Does not arise.

फसल बीमा योजना

4982. **श्री रघबीर सिंह शास्त्री :**
श्री सु० कृ० तापडिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना को लागू करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसकी क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी विधान के कब तक बन जाने की सम्भावना है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे : (क) राज्य सरकारों की राय जानने के लिये फसल बीमा सम्बन्धी विधेयक

का मसौदा तथा मार्गदर्शी योजना को राज्य सरकारों के पास कुछ समय पहले भेज दिया गया था। कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

(ख) योजना की क्रियान्विति और उस के लिये सहायता के प्रतिमान के विषय में राज्य सरकारों ने भिन्न 2 प्रकार की राय प्रकट की हैं। इस लिये सम्पूर्ण प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

(ग) वर्तमान संकेतों की मौजूदगी में यह कहना कठिन है कि विधेयक संसद में कब पेश हो सकेगा। योजना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखादिया गया। देखिये सख्या LT-1829/68.]**

लोह-अयस्क खान कल्याण निधि

4983. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोह-अयस्क खनिकों के कल्याण निधि में से चिकित्सा, आवास, आमोदप्रमोद, शिक्षा, पीने के पानी आदि की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): 1967–68 के दौरान मध्य प्रदेश के लोह-अयस्क खनिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए :—

स्वास्थ्य और चिकित्सा योजनाएं

1. राजहरा खानों के लिए अस्पताली गाड़ी—चलता-फिरता दवाखाना मंजूर किया गया।

2. राजहरा खानों के प्रबन्धकों को पोलियो टीका खरीदने के लिए 2,000 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया।

3. आठ मामलों में 3,940 रु० की कुल लागत से तपेदिक से पीड़ित खनिकों को वित्तीय सहायता की गई।

4. राजहरा खान अस्पताल के लिए 1,00,000 रु० की कुल लागत का एक एक्स-रे संयंत्र मंजूर किया गया।

5. राजहरा खान अस्पताल चलाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धकों को 3,00,000 रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

आवास :

4,08,000 रु० की कुल लागत से नई आवास योजना के अन्तर्गत 102 क्वार्टरों का निर्माण मंजूर किया गया।

मनोरंजन योजनाएं :

1. राजहरा में श्रम कल्याण केन्द्रों को चलाने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई के 6,100 रु० का सहायक अनुदान मंजूर किया गया।

2. राजहरा में दृश्य श्रव्य सेट चलाने के लिए 12,240 रु० की राशि मंजूर की गई।

3. राजहरा खानों के प्रबन्धकों को श्रमिकों के आवास क्षेत्रों में पांच रेडियो केन्द्र चलाने के लिए 9,675 रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

4. राजहरा में राजहरा खानों के लोह-अयस्क खनिकों के लिए खेलों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० भिलाई को 19,400 रु० का सहायक अनुदान दिया गया।

5. राजहरा में 9,190 रु० की लागत पर एक बहुद्देशीय संस्थान मंजूर किया गया।

शिक्षा योजनाएं :

1. 110 छात्रों को 28,000 रु० की छात्रवृत्तियां दी गई।

2. 24,000 रु० की लागत पर राजहरा में एक केन्द्रीय पुस्तकालय व वाचनालय मंजूर किया गया है।

3. राजहरा में बाल मंदिर चलाने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई को 17,500 रु० का सहायक अनुदान मंजूर किया गया।